शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2018
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

ग्रामदान विचार और किसानों की समस्या

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

देश में गांव और किसानों की समस्याओं को हल करने के बहुतेरे उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गांव और किसानों की चिंता में दुबली हुई जा रही हैं परंतु न तो किसानों की आत्महत्या रुक रही है और न संघर्ष पर लगाम लग रही है। जब से सरकारों और शहरों ने गांव को सुखी बनाने का ठेका लिया है, तब से यह संघर्ष और तीव्र हो गया है। गांवों से शहरों की ओर बढ़ते पलायन के बाद भी देश की 65 से 68 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। जब इतिहास की तरफ नजर घुमाते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत आजाद गांवों का गुलाम देश था। गांव-गांव का कारोबार गांववाले स्वयं चलाते थे। अंग्रेजों के जमाने में गुलाम गांवों का गुलाम देश बना। उन्होंने यहां की ग्राम व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। परिणामतः देश भी गुलाम हुआ और गांव भी। आजादी के बाद यह गुलाम गांवों का आजाद देश है। आज देश के गांव बाजार और शहरी जरूरतों को पूरा करने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपनी सभी प्रकार की स्वतंत्रता खो दी। हमारी सरकारें कृषि की उपेक्षा कर अधोसंरचना के माध्यम से विकास दर को तीव्रता प्रदान कर रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में कृषि विकास दर 6.3 से घटकर आधी याने 3.4 प्रतिशत रह गयी है, जबकि कहने को हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारी सरकारें आज भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रही हैं कि गांव मजबूत रहेगा तभी शहर टिकेंगे और देश भी टिकेगा। आज शहर और गांव के बीच नये प्रकार के संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया है। इस संघर्ष की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक तरफ राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है तो दूसरी ओर किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। इस देश की भूमि समस्या को हल करने के लिए संत विनोबा ने भूदान आंदोलन चलाया और देशभर में 45 लाख एकड़ जमीन दान में हासिल कर उन्हें बेजमीनों में वितरित की। इसके लिए प्रदेश की सरकारों ने भूदान एक्ट बनाकर भूदान यज्ञ बोर्ड गठित किए। इसके अगले कदम के रूप में विनोबा ने ग्रामदान का विचार प्रस्तुत किया। इसे आधार बनाकर प्रदेश सरकारों ने ग्रामदान एक्ट पारित कर ग्रामदान मंडल का गठन किया। ग्रामदान के घोषणा पत्र के प्रारूप में लिखा है :

1 हम अपनी कृषि योग्य भूमि का कम-से-कम बीसवां भाग अपने भूमिहीन भाइयों के लिए देते हैं,

2 हम इस गांव की अपनी कुल भूमि की मालिकी का अधिकार ग्रामसभा को समर्पित करते हैं। लेकिन भूमिहीनों के लिए कम-से-कम बीसवां भाग निकाल देने के बाद जो भूमि हमारे पास रहेगी, वह हमारी या हमारी संतति की सम्मति के बिना हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। अपवाद के सिवा किसी भी परिस्थिति में इस जमीन की

न तो बिक्री ही हो सकगी और न यह बंधक रखी जा सकेगी

3 हम अपने दखल की भूमि की उपज का चालीसवां भाग (भूमि का राजस्व चुकाने तथा फसल का हिस्सा बांटने के बाद) अथवा आगे जो ग्रामसभा तय करे, ग्रामकोष के लिए ग्रामसभा को देंगे। हममें से जिन लोगों के पास भूमि नहीं है और जिन्हें नकद आय होती है, वे अपनी मासिक आय का तीसवां हिस्सा अथवा आगे जो ग्रामसभा तय करे, नकदी अथवा श्रम के रूप में ग्रामसभा को देंगे। इस प्रकार जो पूंजी बनेगी, उससे गांव की भलाई और विकास का कोई कार्य, जो ग्रामसभा समय-समय पर तय करे, किया जा सकेगा। इस प्रकार के सारे कामों में सदैव उन लोगों की भलाई को पहले ध्यान में रखा जाएगा, जो ज्यादा जरूरतमंद या असहाय हों

4 गांव के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति अथवा गांव के प्रत्येक वयस्क को सम्मिलित कर हम ग्रामसभा का गठन करेंगे। यह ग्रामसभा ग्राम-माता की तरह गांव के सब लोगों की देखभाल करेगी

5 ग्रामसभा का संचालन आम तौर पर सर्वसम्मति अथवा सर्वानुमति से होगा। किसी गांव को ग्रामदान तभी माना जाएगा, जब

1 गांव में रहने वाले भूमिवानों में से 75 प्रतिशत भूमिवान ग्रामदान में सम्मिलित हों, 2 गांव में रहने वाले भूमिवानों की कुल भूमि में से कम-से-कम 51 प्रतिशत भूमि ग्रामदान में शामिल हो, 3 ग्रामदान में शामिल हरएक भूमिवान के व्यक्तिगत समर्पण पत्र भर लिए गए हों, 4 गांव के कुल परिवारों में से 75 प्रतिशत परिवार ग्रामदान में शरीक हों। आज देश के अनेक प्रान्तों में भूदान एक्ट और ग्रामदान एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। विज्ञान और तकनीक के युग में दोनों एक्ट प्रासंगिक हो गए हैं। भूदान आंदोलन का प्रथम चरण था गांव में कोई भी भूमिहीन न रहे और अंतिम चरण है गांव में कोई भी भूमि का मालिक न रहे। गांव के लोग ही सामूहिक संकल्प करें कि हम गांव में बाहर की चीजें काम में नहीं लायेंगे तो सरकार के सरंक्षण की कोई जरूरत नहीं रहेगी। गांवों में जो कच्चा माल पैदा होता है, उसका वहीं पक्का माल बनना चाहिए। तभी गांव टिक सकते हैं। कच्चा माल खेत में तैयार करना और उससे पक्का माल शहरों में बनाना, यह योजना गांवों के लिए तारक नहीं मारक है। लेकिन सरकार में यह करने की हिम्मत नहीं है और न वह ऐसा करने को तैयार है। इसलिए गांववालों को अपनी योजना स्वयं बनाना चाहिए। आज सब लोग अलग-अलग हैं। इसलिए मोहरूपी महिषासुर बलवान हो गया है। उसके हजार-हजार सिर हैं यानी अनेक मोह हैं और लड़ने के लिए वे सब इकट्ठा हैं। इनको खत्म कैसे किया जाए ? हर घरवाला अपनी-अपनी ताकत ग्राम-सभा को दे, तो ग्राम-सभा दुर्गा बनकर सबका रक्षण करेगी और मोहरूपी महिषासुर को खत्म करेगी। नहीं तो एक-एक मनुष्य को साहूकार व्यापारी, सरकारी अधिकारी, पुलिस, वकील आदि सबका अलग-अलग मुकाबला करना होगा। इसलिए सारे गांववाले एक हो जाएं और ग्रामसभा रूपी दुर्गा की पूजा करें। सरकार गांवों की मदद करे, लेकिन योजना गांव के लोगों को ही करना है। गांवों की ऐसी मदद नहीं करना है कि वे अनाथ होकर मदद ही मांगते रहें। ऊपर से योजना बनाकर सब गांवों पर लादने की अपेक्षा गांव के लोगों को गलत प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वराज्य यानी गलतियां करने का अधिकार। ऐसा स्वराज्य गांव के लोगों को मिलना चाहिए।